प्रेस नोट

विभिन्न थानाक्षेत्रों से अवैध शस्त्र/शराब बरामद करते हुए कुल 04 व्यक्ति गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ अशोक कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 19/20.07.2020 की रात्रि में थाना बिल्सी पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान उझानी तिराहा वहद ग्राम गढ़ी से 01 नाजायज तमंचा देशी 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए अभियुक्त राजीव पुत्र धनपाल सिंह नि0 ग्राम दबिहारी थाना बिल्सी जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 193/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए अभि0 राजीव उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया ।

थाना मूसाझाग पुलिस द्वारा थल्लिया नगला तिराहे से कुल 20 लीटर अवैध कच्ची शराब समेत अभियुक्त शाकिब पुत्र दूल्हे हसन नि0 थल्लिया नगला थाना मूसाझाग जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 200/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया । उपरोक्त के अतिरिक्त पुलिस टीम द्वारा गुलड़िया तिराहे के पास से 01 नाजायज चाकू समेत अभियुक्त राजकपूर पुत्र मुन्नालाल नि0 मो0 नगर सुलरा थाना मूसाझाग जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 201/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभि0गण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

उक्त अभियान के अन्तर्गत ही थाना उझानी पुलिस द्वारा मानकपुर पुलिया के पास से 01 नाजायज चाकू समेत टॉप-10 अपराधियों में शामिल अभियुक्त बबलू पुत्र हिद्दन कुरैशी नि0 मोहल्ला पठानटोला कस्बा व थाना उझानी जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 184/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । गिरफ्तार अभि0 बबलू उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर पूर्व में मु0अ0सं0 359/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट एवं मु0अ0सं0 270/19 धारा 379/411 भादवि व 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत है ।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद बदायूँ ।